न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 04/2020

1. श्रीमती कंचन पत्नि शिवदान जाति जाट निवासी पिचोलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज,)

..अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बुधवाडा समिति पीसागंन जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन जिला अजमेर

...रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 13.11.98 जो ग्राम पंचायत बुधवाडा

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभिभाषक अपीलाण्ट

—: निर्णय :— दिनांक 25.08.2020

संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 13.11.98 जो ग्राम पंचायत बुधवाडा का प्रत्यर्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट के द्वारा दिनांक 16.04.96 को वाके ग्राम बुधवाडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर के वर्किंग खाता संख्या 179 खसरा सख्या 211 रकबा 03—06—10 बीघा बारानी 2 एंव खसरा सख्या 212 रकबा 05—18—00 बारानी 2 के मूल खातेदार गणपत , सुवा , बाबू उर्फ सोहन एंव हरजी पुत्र धुलाजी जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी ग्राम बुधवाडा जिला अजमेर से खरीद कर अपीलाण्ट कब्जा काश्त चली आ रही है। उक्त पंजीयन बेनामा के अनुसार पटवार हल्का के वरवक्त पटवारी महोदय द्वारा नामान्तकरण संख्या 179 भरते हुए नामान्तकरण में विक्रेता के बजाय अपीलाण्ट के पति का नाम गलत इन्द्राज करते हुए श्रीमती कंचन पत्नि शिवदान के बजाय श्रीमती कंचन पत्नि शिवकरण अकिंत कर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया तथा इसी नामान्तकरण का अनुसरण करते हुए वर्किंग जमाबदीं में इन्द्राज करवा दिया गया तथा तत्पश्चात कायम आधार जमाबदीं में भी इसी का अनुसरण करते हुए नई जमाबदीं कायम कर दी गई । उक्त वर्किंग खसरा संख्या 211 रकबा 03—06—10 बीघा बारानी 2 एंव खसरा संख्या 212 रकबा 05—18—00 बारानी 2 के मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान आधार खसरा संख्या 180 रकबा 1.50 है0 बनाये गये । तब से अपीलाण्ट लगातार काबिज काश्त चली आ रही है। अतः ग्राम पंचायत बुधवाडा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 179 दिनांक 13.11.98 को निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट श्रीमती कंचन पत्नि शिवदान के स्थान पर श्रीमती कंचन पत्नि शिवकरण अकिंत करते हुए ... इन्द्राज करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्टस ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपील स्वीकार होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है **ग्राम पंचायत बुधवाडा द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 13.11.98 काबिल निरस्त होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी पंजीकृत दस्तावेज की जांच कर दस्तावेज अनुसार पुनः नामांतकरण खोला जावे।** आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अविलम्ब अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Web Copy, Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested